पत्रांक 15 / पी 5–02 / 2015
बिहार सरकार
शिक्षा विभाग

प्रेषक,

अरशद फिरोज, बि0प्र0से0
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

*अनौपचारिक रूप से परामर्शित द्वारा :– आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

पटना, दिनांक /2018

विषयः– वित्तीय वर्ष 2018–19 में आई0आई0एम बोधगया के लिए मगध विश्वविद्यालय, बोधगया के परिसर में चिन्हित भूखण्ड पर चहारदिवारी निर्माण हेतु कुल रू0 4,03,36,000/–/– (चार करोड़ तीन लाख छत्तीस हजार) मात्र की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए सहायक अनुदान व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि वित्तीय वर्ष 2018–19 में आई0आई0एम बोधगया के लिए मगध विश्वविद्यालय, बोधगया के परिसर में चिन्हित भूखण्ड पर चहारदिवारी निर्माण हेतु कुल रू0 4,03,36,000/–/– (चार करोड़ तीन लाख छत्तीस हजार) मात्र की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए सहायक अनुदान व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2. राज्य में आई0आई0एम0 बोधगया की स्थापना हेतु राज्य सरकार द्वारा मगध विश्वविद्यालय, बोधगया के परिसर में लगभग 119 एकड़ भूमि आई0आई0एम0 प्रशासन को हस्तगत कराया गया है। दिनांक 13.04.2018 को प्रधान सचिव के कार्यालय कक्ष में आई0आई0एम0 बोधगया के संदर्भ में आहूत बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि इस भूखण्ड पर चहारदिवारी निर्माण का कार्य बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, पटना द्वारा नवम्बर, 2018 तक सम्पन्न करा लिया जाएगा।

चहारदिवारी निर्माण में होने वाले व्यय की राशि सर्वप्रथम राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी, परंतु उसकी प्रतिपूर्त्ति आई0आई0एम0 प्रशासन द्वारा राज्य सरकार को किया जाएगा।

3. उक्त निर्णय के आलोक में बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, पटना के पत्रांक 3028 दिनांक 11.05.2018 द्वारा आई0आई0एम0 बोधगया के लिए चिन्हित भूखण्ड पर चहारदिवारी निर्माण हेतु कुल रू0 0 4,03,36,000/– (चार करोड़ तीन लाख छत्तीस हजार) मात्र का प्राक्कलन तकनीकी अनुमोदन सहित उपलब्ध कराया गया है, जिसके आलोक में यह राशि स्वीकृत की जा रही है।

4. स्वीकृत राशि अवर सचिव, शिक्षा विभाग द्वारा नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से निकासी करके बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम, पटना के पी0एल0 खाते में जमा की जाएगी। इस योजना के क्रियान्वयन में गुणवत्ता सुनिश्चित करने की पूर्ण जिम्मेवारी बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, पटना की होगी तथा किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर विभागीय स्तर से नियमानुकूल कार्रवाई की जाएगी।

5. स्वीकृत की गई सम्पूर्ण राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना निगम, पटना द्वारा विभाग को विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराया जाएगा।

6. स्वीकृत की जा रही राशि के व्यय का विकलन मांग संख्या 21, मुख्य शीर्ष 2202 सामान्य शिक्षा उपमुख्य शीर्ष– 03 विश्वविद्यालय तथा उच्चत्तर शिक्षा, लघुशीर्ष 102– विश्वविद्यालयों को सहायता, उपशीर्ष 0115 राज्य के विश्वविद्यालयों का विकास विपत्र कोड 21-2202031020115, विषय शीर्ष 0115. 31. 05 सहायक अनुदान–परिसम्पतियों के निर्माण के अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018–19 में किया जाएगा। इस बजट शीर्ष में वर्तमान वित्तीय वर्ष में कुल रू0 100,00,00,000/– (एक सौ करोड़) मात्र बजटीय उपबंध है।

7. स्वीकृत्यादेश में प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

8. यह स्वीकृत्यादेश वित्त विभागीय संकल्प संख्या 3758 दिनांक 31.05.2017 एवं संचिका संख्या 15/पी 5–02/2015 में दिनांक 23.05.2018 को पृष्ठ 29/टि0 पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति के आधार पर निर्गत किया जा रहा है।

9. इस स्वीकृत्यादेश से स्वीकृत राशि वित्त विभाग के पत्रांक 7355 दिनांक 05.10.07 एवं महालेखाकार, बिहार के पत्रांक 877–907 दिनांक 08.11.2007 के आलोक में आवटंन आदेश निर्गत होने के पश्चात् निकासी की जाएगी अतएव महालेखाकार से प्राधिकार पत्र प्राप्त करना आवश्यक नहीं है।

10. भारत सरकार के नियंत्रक एवं महालेखपरीक्षक तथा राज्य सरकार के अंकेक्षण विभाग (वित्त) को यह अधिकार होगा कि वे इस राशि का अंकेक्षण करें। इसलिए इस राशि का लेखा जोखा अलग से रखा जाएगा।

11. निदेशक (उच्च शिक्षा), शिक्षा विभाग को इसकी सूचना दी जा रही है।

विश्वासभाजन,

ह०/–

(अरशद फिरोज)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक 15/पी 5–02/2015 09 पटना, दिनाक 30/5/2018

प्रतिलिपिः– माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव शिक्षा विभाग के निजी सहायक/वित्त विभाग (स्कीम एवं बजट शाखा)/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय/निदेशक, आई0आई0एम0, बोधगया/जिला पदाधिकारी, गया/कुलसचिव, मगध विश्वविद्यालय, बोधगया/ प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम /कोषागार पदाधिकारी, नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/निदेशक, उच्च शिक्षा/अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/लेखापाल, उच्च शिक्षा/प्रशाखा पदाधिकारी–5, 14 एवं 15 शिक्षा विभाग एवं विभागीय आई0टी0 मैनेजर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव